

04 इन्कम टैक्स कैसे बचाये ?

How to Save Income Tax ?

करदाताओं को चाहिए कि वे वर्ष के प्रारम्भ से ही, अनुमानित आयकर का आंकलन करें तत्पश्चात कर बचाने हेतु योजनाओं में निवेश, अपनी सुविधा अनुसार समय-समय पर वर्ष के दौरान करते रहें, जिससे वर्ष के अंत में, आयकर के भुगतान तथा निवेश, दोनों को वित्तीय भार, एक साथ न आए।

आयकर में बचत मुख्यतः निम्न तरीकों से की जा सकती है —

1. निवेश कर :

निम्नलिखित धाराओं के तहत विभिन्न, योजनाओं में निवेश कर निर्धारित सीमा तक टैक्स बचा सकते हैं :-

(A) धारा 80C व 80CCE के तहत बचत योजनाओं में निवेश कर —

GPF / PPF / LIC / GIS / PLI / NSC / ELSS, Bank FD / पोस्ट ऑफिस में सावधि जमा, सुकन्या समृद्धि खाता तथा वरिष्ठ नागरिक योजना आदि में किया गया निवेश तथा बच्चों के ट्यूशन फीस व गृह ऋण के मूलधन के भुगतान में किया गया खर्च, बिना किसी आंतरिक सीमा के, कुल अधिकतम 1.5 लाख रु. की सीमा तक निवेश करें। इस प्रकार कुल 1 लाख रुपये निवेश कर छूट प्राप्त की जा सकती है।

(B) धारा 80D चिकित्सा बीमा प्रीमियम — स्वयं, जीवन साथी, आश्रित माता-पिता और बच्चों के स्वास्थ्य पर चिकित्सा बीमा प्रीमियम अधिकतम 25,000 रु. (यदि बीमित व्यक्ति की उम्र 65 वर्ष से अधिक हो, तो अधिकतम 30,000 रु.) तक, मान्यता प्राप्त बीमा कंपनी की मेडीक्लेम एवं हेल्थ प्लस योजनाओं में निवेश कर, अधिकतम 25,000 रु. तक आयकर में बचत हो सकती है। वर्ष 2015-16 में माता पिता के स्वास्थ्य बीमा हेतु चिकित्सा बीमा प्रीमियम की 25,000 रूपए की अतिरिक्त कटौती मिलेगी। हेल्थ चेकअप के लिए रु. 5,000 तक किए गए खर्च की भी उपरोक्त सीमा के तहत कटौती प्राप्त की जा सकती है।

(C) धारा 80CCG — सरकार द्वारा राजीव गांधी इक्विटी योजना के तहत, अधिसूचित स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध शेयरों में किये निवेश की राशि के 50% की कटौती, अधिकतम 25,000 रुपये तक की सीमा में, ऐसे नये खुदरा निवेशक, व्यक्ति तथा हिन्दु अविभक्त परिवार को प्राप्त होगी, जिनकी सकल आय दस लाख रुपये तक है। यह कटौती केवल एक बार प्राप्त होगी

(D) धारा 80CCD 1(B) — न्यू पेंशन योजना (एन.पी.एस.) में रु. 50,000 निवेश कर, धारा 80CCE के तहत देय रु. 1.5 लाख की कटौति के अतिरिक्त कटौति देय।

2. गृह ऋण लेकर :

स्वयं के निवास हेतु मकान के निर्माण/क़य हेतु लिए गए ऋण पर देय (Accrued) ब्याज की राशि में धारा 24 के तहत, आय से कटौती की सीमा 2,00,000 रु. है। इसी प्रकार मकान के नवीनीकरण/मरम्मत हेतु लिए गए ऋण पर देय ब्याज की राशि में छूट की सीमा 30,000 है। अतः उपरोक्त विकल्पों में से अपनी जरूरत एवं सुविधानुसार ऋण लेकर टैक्स बचा सकते हैं।

3. चैप्टर (VI) के तहत लागू कटौतियों के माध्यम से :

पृष्ठ 50 में वर्णित, धारा 80A से 80U के तहत कटौतियां यदि आप पर लागू होती हैं, तो संबंधित दस्तावेज के साथ क्लेम (Claim) कर आयकर बचायें।

4. दान देकर भी टैक्स में बचत की जा सकती है :

धारा 80G के तहत निर्धारित संस्थाओं व राजनैतिक पार्टियों (धारा 80GGC के तहत) को दिए गए चंदे की राशि सीधे आय से कम की जा सकती है।

5. स्वयं, जीवन साथी या बच्चों की उच्च शिक्षा हेतु ऋण लेकर :

कर करदाता स्वयं अपनी, जीवन साथी या अपने बच्चों की उच्च शिक्षा हेतु, वित्तीय संस्थान या मान्यता प्राप्त चैरैटी संस्था से लिये गये ऋण के ब्याज का भुगतान (Repayment), करता है तो बिना किसी सीमा के, भुगतान की गई पूरी राशि, प्रथम 8 वर्षों तक, धारा 80E के तहत कुल आय से कटौती योग्य होगा।

